5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग- 2477- II-16

प्र.कं. /2016 पुनरीक्षण

1. श्रीमती शान्ती पत्नी स्व. त्रियुगीधर ब्रा0
2. वरूणधर पुत्र स्व. त्रियुगीधर ब्रा0
3. त्रिमूर्तिधर पुत्र स्व. त्रियुगीधर ब्रा0

समसत निवासीगण ग्राम झरी तह.हनुमना

जिला – रीवा (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. हनुमानधर पुत्र जागेश्वरधर
2. सीतादेवी पत्नी गंगाधर
3. शिवशरणधर 4. हरिशरणधर
5. चन्द्रशरणधर 6. इन्द्रशरणधर

पुत्रगण गंगाधर

7. अम्बिकाधर 8 मानिन्द्रधर

पुत्रगण सोमेश्वरधर

9. रामधर पुत्र गुलाबधर
10. विद्याधर 11. रामायण धर 12. विप्रधर

पुत्रगण श्रीधर

13. शेषधर पुत्र शंकरधर
14. राजकुमारधर 15. रजनीशरणधर

पुत्रगण नारायणधर

16. मु. दयमंती बेवा नारायणधर
17. मृत – अंजनीधर पुत्र तेजप्रतापधर
18. मृत – मुस. मुनाऊ बेवा विष्णुधर

मुकेश भार्गव 16-8-16 एडवोकेट ग्वालियर

19. रघुवंशधर पुत्र विष्णुधर

20. त्रिवेणीधर 21. इन्द्रधर पुत्रगण परमेश्वरधर

21. त्रिलोकीधर पुत्र नरसिंहधर
समस्त निवासीगण ग्राम झरी तह. हनुमना
जिला रीवा (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा द्वारा प्र.कं. 16ए–27/11–12 में पारित आदेश दनांक 8.7.16 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आवेदकगण एवं अनावेदक एक ही परिवार के सदस्य होने से आपसी विभाजन अर्सा पूर्व हो गया था, पूर्व आपसी विभाजन अनुसार उभयपक्ष मौके से काबिज दाखिल है, तदनुसार आवेदकां पूर्वज पिता– दादी ने संहिता की धारा 178(1) के तहत खाता विभाजन का दावा एवं पूर्व आपसी विभाजन में प्राप्त भूमियों का याददास्तसूची अनुलग्न "अ" विचारण न्यायालय में प्रस्तुतकिये, अनावेदक उपस्थित हुए, जबाव दावा दिये, अनावेदक शेषधर बगै0 ने जबाव में प्रचलनशील न होने का भी उल्लेख किया, उभयपक्षों का श्रवण कर विद्वान तहसीलदार ने दिनांक 08.04.2013 को बंटवारा प्रकरण प्रचलनशील होने का आदेश देकर पटवारीहल्का को बंटवारा पुल्ली तैयार कर प्रस्तुत हेतु आदेश दिया। इस अंतरिम आदेश की निगरानी अनावेदक 12 ता 21 ने नहीं किया।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(67)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2777-दो/16 **जिला** - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/05/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार हनुमना के प्रकरण क्र. 16/अ-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) **सदस्य**	